## भारतीय मानक ब्यरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

## मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञिस Licence for the use of STANDARD MARK

अनुजिस (लाइसँस) सं. सीएम/एल

2501941

LICENCE NO. CM/L -

2501941

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स राजकमल इण्डस्टीज. बी-41, इण्डस्टीयल ऐस्टेट, कोटा-324007. राजस्थान

को (जिसे इसमें आगे अनुनिर्पारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए ग करने को अनुजाति (लाइसँस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण हस्ताक्षरित तथा मुद्राकित। जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त : उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS the BUREAU hereby grants to

M/s Raikamal Industries, B-41. Industrial Estate Kota Rajasthan - 324007

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first co hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the Schedule as from time to time amended or revised.

- इस अनुस्राप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताए है जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बनाए गए विनिवामी में हैं। अनुस्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित विन्ह लगाने की नियत कीस सम्बक् रीति से और निवत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति सतरन है. व्यशे की संतरि के अनुरूप चलाएगा।
- 2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुजिप्त (साइसैस) 30 मई 2012

से 29 मई 2013

तक विधिमान्य

रहेगी और विजित्तमों में विकित

रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from THIRTIETH MAY, TWO THOUSAND TWELVE to TWENTY-NINTH MAY, TWO THOUSAND THIRTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

Signed, Sealed and Dated this fire ( day of JUNE TWO THOUSAND TWELVE

भारतीय मानक हयरों की और से

for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Tillyharing

(एन. के. शर्मा)

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

(N. K. Sharma) Scientist-F & Head